

मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
बमुकद में ईबतदाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

निवासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)  
मुकदमा संख्या :- 256 / 2024  
वाद पत्र अं. धारा 88,53 आर.टी.ए.  
राजवीर पुत्र बलवन्त राम जाति स्वामी निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.

बनाम्

-वादी

1. कुलदीप कुमार पुत्र बगड़ावतराम जाति जाट
2. बलवन्त राम पुत्र मनीराम जाति स्वामी
3. धनकौर पत्नी चेतसिंह जाति जटसिंह
4. राजेन्द्र कौर पत्नी लक्ष्मण सिंह जाति जटसिंह
5. लखवीर कौर पुत्री लक्ष्मण सिंह जाति जटसिंह
6. वकील सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति जटसिंह
7. साहब सिंह पुत्र हरजिन्द्र सिंह जाति जटसिंह
8. हरजिन्द्र सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिंह
9. शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा ढाबा।
10. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

समस्त निवासी ढाबा तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ़ राज.

-प्रतिवादीगण

दिनांक :- 14.2.2025

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे  
बहुजरी श्री राजेश बुडानियां वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री जसवीर सिंह बराड़ मिन जानिब मुदायला पेश होकर  
हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी  
जाती है:-

क. सं.	नाम काशतकार मय वल्लिदयत एवं सकूनात	चक का नाम खातों का विवरण	राजस्व रिकार्ड अनुसार रकबा	वर्तमान में कब्जा काशत अनुसार काशतकार का नाम	कब्जा काशत अनुसार रकबा
1	1 बलवन्तराम पुत्र मनीराम जाति स्वामी निवासी ढाबा 2 कुलदीप कुमार पुत्र बगड़ावतराम जाति निवासी ढाबा	प.मं. ढाबा के चक 1 बीजीपी के खाता सं. 119/25 खाते का योग 12.180 हेक्. (विवादित श्रेणी)	1-1.771 हेक्. 2- 0.253 हेक्. कुल:-2.024 हेक्.	1 बलवन्तराम पुत्र मनीराम 2 राजवीर पुत्र बलवन्तराम जाति स्वामी निवासी ढाबा	प.न. 217/137 मु.न. 31 का कि.न. 1-2-3-4/1. 012, 5/1/0.228, 5/2/0.025 गै.मु.रास्ता, 6/1/0.228, 6/2/0.025 गै.मु.रास्ता, 7-8/0.506 हेक्. कुल:-2.024 हेक्.
2	1 राजेन्द्र कौर पत्नी लक्ष्मण सिंह राहिन एचडीएफसी बैंक लि. शाखा डबवाली 2 लखवीर कौर पुत्री लक्ष्मण सिंह 3 वकील सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह एचडीएफसी बैंक लि. शाखा डबवाली 4 साहब सिंह पुत्र हरजिन्द्र सिंह राहिन पीएनबी शाखा ढाबा 5 हरजिन्द्र सिंह पुत्र सुखदेव सिंह राहिन पीएनबी शाखा ढाबा	प.मं. ढाबा के चक 1 बीजीपी के खाता सं. 119/25 खाते का योग 12.180 हेक्. (विवादित श्रेणी)	1 -1.837 हेक्. 2-0.910 हेक्. 3-1.837 हेक्. 4-1.012 हेक्. 5-4.553 हेक्. कुल:-10.149 हेक्.	1 राजेन्द्र कौर पत्नी लक्ष्मण सिंह राहिन एचडीएफसी बैंक लि. शाखा डबवाली 2 लखवीर कौर पुत्री लक्ष्मण सिंह 3 वकील सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह एचडीएफसी बैंक लि. शाखा डबवाली 4 साहब सिंह पुत्र हरजिन्द्र सिंह राहिन पीएनबी शाखा ढाबा 5 हरजिन्द्र सिंह पुत्र सुखदेव सिंह राहिन पीएनबी शाखा ढाबा	शेष खाता जमाबन्दी अनुसार


1 पटवार सर्किल ढाबा के चक 1 बीजीपी के खाता सं. 119/25 में कुलदीप कुमार पुत्र बगड़ावतराम द्वारा अपना 0.253 हि. जरिये बैयनामा राजवीर पुत्र बलवन्तराम जाति स्वामी निवासी ढाबा को बैय किया गया। जिसकी चित्रप्रति सलग्न पत्रावली के क्र.सं. 2,3,4,8,10,11 का वर्तमान में मौका पर कब्जा काशत नहीं होने के कारण नाम हट रहे हैं।

महायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया


अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की  
के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.  
के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/4071 दिनांक 31.12.2024 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री  
आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का  
अमल दरामद कर दिया जावे।

निज  मुब्लिक  बाबत 100/- खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख



से तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करे।  
बसंत से दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 14.2.2025 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

  
(जय कौशिक)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपरवर्द्ध अधिकारी  
संगरिया